

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
 तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम श्री हुं रास्ता ग्राम अगेगा
 (अगेगा ग्राम से ज० रेगरान तक)
 केस मुकदमा श्री हुं रास्ता धारा 131, 132 नुस्बर 57 वर्ष 2024

श्री हुं रास्ता धारा 131, 132 नुस्बर 57 वर्ष 2024

1/24 पत्रावली तहसीलदार नीमकाथाना से श्री हुं रास्ता धारा 131, 132 रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेस हुआ। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार की जाकर समस्त पक्षकारों को नोटिफ तलक किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/3/24 को पेस हो।

(राजवीर सिंह यादव)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (राज.)

13/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय चपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/24 को पेस हो। प्रकीर्ण की जाते से समस्त पत्रावली 28/3/24

28/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/24 को पेस हो।

पत्रावली पेस हुआ। जनवरी सन् 2075-78 के गण अगेगा के खाल से 49 के खलेदप संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 की आठ सहायि पत्रावली पेस हुआ। शेष खलेदप के नोटिफ तलक पेस हो। पत्रावली दिनांक 2/4/24 को पेस हो।

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.
R.O. साहन चुनाव कार्य में व्यस्त
होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

21/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिगणक संघ
आज जेदाकता आर्ट का स्थगन करे
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

31/5/24

पत्रावली पेश हुयी। समस्त खातेदारान ने उपस्थित होकर प्रस्तावित रास्ते पर सहमति पेश की। तहसीलदार, नीमकाथाना व उपस्थित समस्त खातेदारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भूअ./2024/832 दिनांक 12.02.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बावत राजस्व ग्राम भगेगा पटवार मण्डल भगेगा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 255/2, 257, 260, 261 में 02 मीटर चौड़ा व 600 मीटर लम्बाई भगेगा ग्राम से ढाणी रेगरान तक रास्ता का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ संलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। जिन भूमियों में से रास्ता प्रस्तावित किया है उन भूमियों के अधिकतर खातेदारान ने प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शों में तरमीम करने की लिखित सहमति प्रदान की है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते व भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तक रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा व किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम क जावे। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराग



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए

हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(राजवीर सिंह यादव)
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना